

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)**


**आदेश**

सी0डब्लू0जे0सी0सं0-10261/2014 सिद्धार्थ गौतम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-04.04.2018 को पारित आदेश में विभागीय कार्यवाही, सेवा बर्खास्तगी के आदेश एवं अपीलिय प्राधिकार के आदेश को रद्द करते हुए पुनर्नियुक्ति करने तथा परिणामी लाभ देने का आदेश पारित किया है, जिसमें तीन माह के अंदर Back wages के साथ पुनर्नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है, न्यायादेश का Operative अंश निम्नरूपेण है :-


Petitioner is directed to be reinstated in service within 3 months from date of receipt/production of copy of order passed by this court along with all consequential benefits including back wages.

However, this order will not preclude Disciplinary Authority to initiate fresh proceeding in accordance with law and strictly in accordance with procedure as prescribed under Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules 2005.


2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में श्री सिद्धार्थ गौतम, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, बेतिया के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी आदेश (श्रमायुक्त, बिहार के आदेश ज्ञापांक-1028 दिनांक-27.03.2014 द्वारा संसूचित) को रद्द किया जाता है।
3. श्री गौतम को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय (श्रमायुक्त कार्यालय) में अपना योगदान समर्पित करें।
4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13017/2014 श्र0सं0- 4909 पटना, दिनांक- 3-7-18  
प्रतिलिपि :- श्री सिद्धार्थ गौतम, पिता-स्व0 रामकेवल सिंह, ग्राम-अतपुरा, पो0-विक्रम, थाना-विक्रम, जिला-पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13017/2014 श्र0सं0- 4909 पटना, दिनांक- 3-7-18  
प्रतिलिपि :- पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी (अन्वेषण), व्यूरो विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध, अनुसंधान इकाई, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

(कृ0पृ030)

ज्ञापांक-2/ई3-13017/2014 श्र0सं0- 4909 पटना, दिनांक- 3.7.18

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/07/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13017/2014 श्र0सं0- 4909 पटना, दिनांक- 3.7.18

प्रतिलिपि :-संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, पटना/कृषि श्रमिक निदेशालय, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक एवं मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/07/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2/ई3-13017/2014 श्र0सं0- 4909 पटना, दिनांक- 3.7.18

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/07/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।